

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/24

जयपुर, दिनांक 11.12.2025

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का पदोन्नति पर स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:—

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	सुभाष चन्द शर्मा	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर, कार्यालय खैरथल—तिजारा (स्थानान्तरणाधीन निदेशक विधि (संयुक्त विधि परामर्शी), भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर)	निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
2.	अनिता सक्सेना	उप विधि परामर्शी कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर

आज्ञा से

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. उपरोक्त संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त होकर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
5. एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Document certified by ANKIT RAMAN
<ankitraman.ar@gmail.com>.

Digitally Signed by ANKIT
RAMAN
Designation: Joint Secretary
Date :11-12-2025 03:01:25

RajKaj Ref No.:
19291691

eSign DSC